

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.07.2019 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3957 का उत्तर

आरक्षित डिब्बों में यात्रियों द्वारा अतिक्रमण

3957. श्री डी. रविकुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आरक्षित डिब्बों में अनारक्षित यात्रियों द्वारा अतिक्रमण की समस्या को दूर करने हेतु सरकार की कोई कार्य-योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) तीर्थ यात्रियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सेवा घटिया होने पर यात्रियों को किराया वापसी हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आरक्षित डिब्बों में यात्रियों द्वारा अतिक्रमण के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री डी. रविकुमार के अतारांकित प्रश्न सं. 3957 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): अनारक्षित यात्रियों को आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं: -

- i. अनधिकृत यात्रा की रोकथाम के लिए नियमित और औचक जांचें करवाना, जिन्हें अतिव्यस्त अवधि के दौरान तेज़ किया जाता है।
- ii. रेलवे सुरक्षा बल और न्यायधीशों के सहयोग से घात लगाकर जांच करना, घेराबंदी जांचें जैसे अभियान कड़ाई से चलाए जाते हैं।
- iii. अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय रेलों के प्रत्येक मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गहन जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।
- iv. आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, सवारी डिब्बों में कर्मचारियों की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।
- v. रेलवे स्टेशनों पर पोस्टरों/सूचनाओं/उद्घोषणाओं के जरिए और समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से, क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रचार अभियान के जरिए बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए यात्रियों से अनुरोध किया जाता है।

(ग): भारतीय रेल में, बुकिंग पैटर्न की निगरानी की जाती है तथा यात्रियों/तीर्थयात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई जाती है, परिचालन संभाव्यता के अध्यक्षीन अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जाते हैं। इसके अलावा, जहां कहीं अपेक्षित हो, मांग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, मेला शेड, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल की पर्याप्त सुविधा और सार्वजनिक शौचालय, सहायता कक्षों का प्रावधान और अन्य सुविधाएं जैसे अस्थायी प्रावधान किए जाते हैं।

(घ): निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्दकरण/लिपिकीय प्रभारों की कटौती के बिना यात्रियों को किराए की धन वापसी की जाती है: -

- i. यात्रा आरंभ होने वाले स्टेशन से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के तीन घंटे से अधिक समय के बाद गाड़ियों के देर से चलने के कारण यदि यात्रा शुरू नहीं होती, तो पूरे किराए की धन वापसी की जाती है।

- ii. दुर्घटना, अतिक्रमण या बाढ़ जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण गाड़ी सेवाओं की स्थिति का पता न लग पाने के कारण यात्रा को रोकना।
- iii. वातानुकूलित सवारी डिब्बों में वातानुकूलन की सुविधा प्रदान करने में विफल रहने पर, वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित श्रेणियों के बीच किराए के अंतर की धन वापसी।
- iv. यदि उच्च श्रेणी के टिकट धारक को उस श्रेणी, जिसके लिए टिकट जारी किया गया था, में आवास के अभाव में निम्न श्रेणी में यात्रा करने के लिए कहा जाता है तो भुगतान किए गए किराए और उस श्रेणी जिसमें इसे वास्तव में उपयोग किया गया है, के देय किराए के बीच के अंतर की धन वापसी की जाती है।

उपरोक्त सभी मामलों में, रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराये की धन वापसी) नियमों, 2015 के अनुसार टिकट रद्द करने पर धन वापसी स्वीकार्य है।
